



इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005



**UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ACT, 2005**

रजिस्ट्री स० डी० एल०—33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 710]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2005/आषाढ 20, 1927

No. 710]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2005/ASADHA 20, 1927

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

(Department of Secondary and Higher Education)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2005

New Delhi, the 11th July, 2005

का.आ.978 (अ).—केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का 26) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14 जुलाई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.O.978 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the University of Allahabad Act, 2005 (26 of 2005), the Central Government hereby appoints the 14th day of July, 2005 as the date on which all the provision of the said Act shall come into force.

[सं. एफ. 32-3/2004—डैस्क (यू.)]

[No. F. 32-3/2004-Desk (U)]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

(1) Dr. R.C. Tripathi,
Director,
CB Pant Social Science Institute,
Allahabad.

(2) Prof. Janki Prasad,
Department of Psychology,
University of Allahabad.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 26)

[23 जून, 2005]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने और उसके निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा—उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उद्देश्य ऐसे हैं कि इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाया जा सके, अतः यह घोषणा की जाती है कि उक्त विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) “शैक्षणिक कर्मचारिवृंद” से कर्मचारिवृंद के ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं जो परिनियमों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) “नियत दिन” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है;

(घ) “केन्द्र” से शैक्षणिक, परामर्शी और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय संस्थान की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) “कुलाधिपति” से धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(च) “घटक महाविद्यालय” से परिनियमों द्वारा उस रूप में विहित महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) “घटक संस्थान” से परिनियमों द्वारा उस रूप में विहित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) “सभा” से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(झ) “विभाग” से संकाय का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) “निदेशक” से किसी विश्वविद्यालय संस्थान या घटक संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(ठ) “कार्य परिषद्” से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ड) “संकाय” से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ढ) “वित्त अधिकारी” से धारा 18 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) “अध्यादेश” से विश्वविद्यालय का अध्यादेश अभिप्रेत है;

(त) “प्राचार्य” से विश्वविद्यालय महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(थ) “प्रतिकुलपति” से धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति अभिप्रेत है;

(द) “कुलसचिव” से धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;

- (ध) “विनियम” से विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;
- (न) “परिनियम” से विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;
- (प) “शिक्षक” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक अभिप्रेत हैं;
- (फ) “विश्वविद्यालय” से धारा 4 के अधीन स्थापित और निगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ब) “विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक” से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने और अनुसंधान का संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक अभिप्रेत है;
- (भ) “विश्वविद्यालय, महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में संकाय के रूप में स्वीकृत कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
- (म) “विश्वविद्यालय संस्थान” से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और चलाई जा रही कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (य) “विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षक” से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने और अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षक अभिप्रेत है; और
- (यक) “कुलपति” से 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

4. इलाहाबाद विश्वविद्यालय का निगमन—(1) उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के अधीन स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(2) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, वे ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक, विश्वविद्यालय का गठन करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

5. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव—नियत दिन से ही,—

(क) किसी विधि में (इस अधिनियम से भिन्न) या किसी संविदा या अन्य लिखत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति कोई निर्देश, विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां, विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(ग) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) नियत दिन के ठीक पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों में वही अधिकार और उन्मुक्तियां तब तक धारण करेगा जो वह तब धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता और वह ऐसा तक तब करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं की जाती :

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संदाय करके और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संदाय करके उनका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि नियत दिन के पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, धारा 34 के अधीन संविदा के निष्पादन के लंबित रहते हुए, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के संगत किसी संविदा के सुसंगत उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह भी कि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति किसी निर्देश का, वह चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्देश क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति निर्देश है;

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के उपबंधों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा

और वह तीन मास की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि कुलपति की नियुक्ति की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य—विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना, विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मूलभूत और व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और अध्यापन-अध्ययन की प्रक्रियाओं, अंतःअनुशासनिक और वृत्तिक अध्ययनों और अनुसंधान, लिंग संबंधी असमानताओं को दूर करने और अंकीय विभाजन में नई पद्धति की अभिवृद्धि के लिए समुचित उपाय करना; और सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय प्रगति और मानव कल्याण के लिए ज्ञान का उपयोग करना; और देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना होंगे।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(iii) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(iv) खुले अध्ययन कार्यक्रमों, प्राकारबाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना;

(v) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पीठ, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे पीठ, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक और अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(vi) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षकों के रूप में मान्यता देना;

(vii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में घोषित करना;

(viii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(ix) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(x) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xi) शिक्षण देने और अनुसंधान संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संस्थाएं स्थापित करना और चलाना;

(xii) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित महाविद्यालयों या संस्थाओं को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, घटक संस्थान और घटक महाविद्यालय के रूप में अपने विशेषाधिकार में स्वीकार करना; और उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों को ऐसी शर्तों के अनुसार जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, वापस लेना;

(xiii) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और परिनियमों के अनुसार ऐसी प्रास्थिति को वापस लेना;

(xiv) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाएं और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xv) विश्वविद्यालय में और ऐसी संस्थाओं में जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित है या जिन्हें विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया है, प्रवेश के लिए, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है, स्तरमान अवधारित करना;

(xvi) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xvii) विश्वविद्यालय के छात्रावासों को स्थापित करना और मान्यता देना और छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना, उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण में संवर्धन के लिए व्यवस्था करना और ऐसे ही उद्देश्यों वाले घटक महाविद्यालयों और घटक संस्थानों को उनमें भर्ती किए गए विद्यार्थियों के संबंध में मार्गदर्शन देना;

(xviii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xix) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xx) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, अर्जित करना, धारित करना, उनका प्रबंध और व्ययन करना :

परंतु किसी स्थावर सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय व्ययन नहीं किया जाएगा;

(xxi) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना; और

(xxii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

8. अधिकारिता—(1) इस अधिनियम द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियां, विश्वविद्यालय के दीक्षांत कक्ष से सोलह किलोमीटर परिधि के भीतर क्षेत्र के संबंध में उक्त क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किसी अन्य विश्वविद्यालय को समनुदेशित की जा सकेंगी, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) नियत दिन से ही सभी संस्थाएं, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के अधीन यथानिगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त है या उसके द्वारा चलाई जा रही है, विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाई जाएंगी और ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

9. विश्वविद्यालय का सभी लिंग, वर्गों या पंथों के व्यक्तियों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक आस्था या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उन पर अधिरोपित करे :

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

10. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा संचालित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पनुर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उसके विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय और उक्त महाविद्यालयों, और संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय की सूचना,—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है; या

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधतंत्र को देगा, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र को कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(5) यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय, या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचारों के साथ ऐसी सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दे।

(8) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम, उस पर अपने विचार और ऐसी सलाह, जो वह उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में देना चाहे, के संदर्भ में कुलपति के माध्यम से संबोधित प्रबंधतंत्र को संबोधित कर सकेगा।

(9) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को उस कार्रवाई के बारे में, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(10) जहां, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, या परिणियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है; लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले कुलाध्यक्ष कुलसचिव से इस बात का कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिणियमों द्वारा विहित की जाएं।

11. मुख्य कुलाधिसचिव—उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का मुख्य कुलाधिसचिव होगा।

12. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- (1) कुलाधिपति;
- (2) कुलपति;
- (3) प्रतिकुलपति;
- (4) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (5) कुलसचिव;
- (6) वित्त अधिकारी; और
- (7) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

13. कुलाधिपति—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिणियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

14. कुलपति—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिणियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को उसके आगामी अधिवेशन में देगा :

परन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल आपातस्थितियों में ही किया जाएगा और किसी भी दशा में पदों के सृजन और पदों के उन्नयन तथा उन पर नियुक्तियों की बाबत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि संबोधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है; यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को कर सकता है और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या जो विनिश्चय किया गया है, वह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका, उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

15. प्रतिकुलपति—प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

16. संकायों के संकायाध्यक्ष—प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

17. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

18. वित्त अधिकारी—वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

19. अन्य अधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

20. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

- (1) सभा;
- (2) कार्य परिषद्;
- (3) विद्या परिषद्;
- (4) संकाय का बोर्ड;
- (5) वित्त समिति; और
- (6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

21. सभा—(1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

22. कार्य परिषद्—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

23. विद्या परिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

24. वित्त समिति—वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

25. अन्य प्राधिकारी—संकायों के बोर्डों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

26. संकाय और विभाग—(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित हैं।

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित हैं और प्रत्येक विभाग में अध्यापन के ऐसे विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

27. परिनियम बनाने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हों;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षकों के रूप में व्यक्तियों को मान्यता देना;

(च) अन्य विश्वविद्यालयों या अन्य संगठनों में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की घोषणा।

(छ) विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबन्ध, ऐसे कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति और उनके संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(झ) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(ठ) संकायों, विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों, केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना और उत्सादन;

(ड) किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त की प्रास्थिति प्रदान करना और ऐसी प्रास्थिति को वापस लेना;

(ढ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ण) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(त) स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(घ) ऐसे सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किए जाएं।

28. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे—(1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन या निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसको अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात्पूर्वी की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उन्हें संशोधित कर सकेगा।

29. अध्यादेश बनाने की शक्ति—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय और उसके द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश और उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित करना और प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसूचकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, विश्वविद्यालय संस्थानों, अध्ययनबोर्डों, विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं और समितियों की स्थापना;

(ट) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उनकी संरचना और उनके कृत्य;

(घ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ङ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना; और

(ढ) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, कुलपति द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

30. विनियम—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, कार्य संचालन के लिए और ऐसे विषयों के लिए जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

31. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा वार्षिक रिपोर्ट अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

32. लेखा और लेखा परीक्षा—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा की जानकारी में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

33. विवरणियों आदि का दिया जाना—विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अपेक्षा करे।

34. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी, और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का 26) के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

35. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया—(1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 34 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबन्ध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

36. अपील करने का अधिकार—विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

37. भविष्य-निधि और पेंशन निधि—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य-निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य-निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो।

38. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

39. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों में, पदेन सदस्यों से भिन्न, सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है।

40. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों का कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

41. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

42. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या, संकल्प या ऐसे किसी अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि यदि कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाती है तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के विद्यमान होने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी।

43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं क वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस आदेश के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी, किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

45. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो उचित समझी जाए और इनमें से प्रत्येक अधिकारी ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, पद धारण करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और इनमें से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा,

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्यकारी परिषद् क्रमशः इकतीस और पन्द्रह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् इकतीस से अनधिक सदस्यों में मिलकर बनेगी, जिनका नामनिर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और वे तीन वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि ऊपर उल्लिखित पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उक्त पद, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन से केन्द्रीय सरकार द्वारा भरा जाएगा और ऐसा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस अवधि तक पद धारण करेगा जिस तक, ऐसे अधिकारी या सदस्य जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो वह पद धारण करता।

(2) उस समय तक जब तक कि धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं ऐसे मामलों की बाबत जो इस अधिनियम और परिनियम के अधीन अध्यादेश द्वारा उपबंधित किए जाने हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के उपबंधों के अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के सुसंगत उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक वे इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं।

46. 1973 के राष्ट्रपति के अधिनियम 10 का संशोधन—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में,—

(क) “इलाहाबाद” शब्द का, धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), धारा 31ख की उपधारा (1), धारा 74 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), धारा 74 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) और अनुसूची में क्रम सं० 5 से संबंधित प्रविष्टियों के सिवाय, जहां-जहां वह शब्द आता है, लोप किया जाएगा :

(ख) अनुसूची में क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) ऐसे लोप के होते हुए भी—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई उपाधियां, और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, अनुदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें (जिनमें स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमशः की गई, जारी किए गए, प्रदान की गई, प्रदान किए गए, अनुदत्त और की गई समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश के द्वारा अधिकांत न कर दी जाए; और

(ख) शिक्षकों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चयन समिति की सभी कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो चुकी थीं और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में, कार्य परिषद् की सभी कार्यवाहियां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया का इस अधिनियम द्वारा उपांतरण किया जा चुका है, विधिमान्य समझी जाएंगी किन्तु ऐसे लंबित

चयनों के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और यह उस प्रक्रम से जारी रहेगी जहां पर वे ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले थीं, सिवाय तब के जब संबंधित प्राधिकारी, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, इसके प्रतिकूल विनिश्चय लें।

अनुसूची
(धारा 28 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. कुलाधिपति—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा देश के शैक्षणिक या लोक जीवन में प्रख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मंगा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति उसकी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

2. कुलपति—(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा खंड (2) के अधीन यथा गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित या नया पैनल मंगा सकेगा ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें से दो व्यक्ति कार्य परिषद् द्वारा और एक व्यक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशित समिति का संयोजक होगा :

परन्तु समिति के सदस्यों में से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाली या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्था का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं होगा ।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है यह निदेश दे सकेगा कि वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, या जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है और पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रह सकेगा ।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ते से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान किराया मुक्त सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं :

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्वीकृत किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्वीकृत किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई कर्मचारी कुलपति नियुक्त किए जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्त के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ।

(iii) कुलपति ऐसे दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(iv) कुलपति कलैन्डर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्व वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढाई दिन की दर से जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में किया जा सकेगा :

परन्तु यदि परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो ऐसी अर्ध-वेतन छुट्टी का दुगुनी मात्रा शोध्य अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी ।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को संभाल नहीं लेता ।

3. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य—(1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

4. प्रतिकुलपति—(1) प्रत्येक प्रतिकुलपति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पूर्वतर हो :

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 1 के खंड (6) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, कुलपति अपना पद संभाल नहीं लेता या नया कुलपति अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे मामलों में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

5. संकायाध्यक्ष—(1) प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा उस संकाय के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि संकाय में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति संकाय में के आचार्यों में से, यदि कोई हो, और उपाचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा संकाय जिसमें कोई विश्वविद्यालय महाविद्यालय है तो ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय का प्रधानाचार्य संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा ।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन संकाय में, यथास्थिति, ज्येष्ठतम आचार्य या उपाचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, संकाय बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और संकाय में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या संकाय की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उनका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व किसी संकायाध्यक्ष के रूप में सेवारत प्रत्येक अध्यापक, उस रूप में उस तारीख तक बना रहेगा जिस तक वह संकायाध्यक्ष के रूप में बना रहता; यदि अधिनियम अधिनियमित न किया गया होता और तत्पश्चात् संबंधित संकाय के अध्यक्ष को उपरोक्त खंड (1) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

6. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिन्दा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक उस व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच पूरी होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, महाविद्यालय विकास परिषद् के और उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के तथा उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से इंतजाम और अधीक्षण करे;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

7. वित्त अधिकारी—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्याय और विन्यास की संपत्ति भी है, धारित करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा :

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा :

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, विश्वविद्यालय, संस्थानों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपभोज्य सामग्री के स्टॉक की जांच की जाएं;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, विश्वविद्यालय संस्थान, स्वतंत्र केन्द्र, विशेषित प्रयोगशाला या उपभोक्ता सुविधा से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में दी गई किसी रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

8. सभा—(1) सभा निम्नलिखित सदस्यों में मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) पदेन सदस्य—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (iv) कुलपति, प्रतिकुलपति और संकायाध्यक्षों से भिन्न कार्य परिषद् के सदस्य;
- (v) संकायों के अध्यक्ष;
- (vi) वित्त अधिकारी;
- (vii) अनुसंधान और विकास संकायाध्यक्ष, यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं है;
- (viii) महाविद्यालय विकास संकायाध्यक्ष, यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं है;
- (ix) पुस्कालयाध्यक्ष;
- (x) ऐसे विषयों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय संस्थानों के निदेशक, घटक संस्थानों के निदेशक और केन्द्रों के अध्यक्ष, जो किसी विश्वविद्यालय संस्थान में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि वे इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं हैं; और

(xi) घटक महाविद्यालयों के दो प्रधानाचार्य, जिनका प्रधानाचार्य के रूप में मूल सेवा की अवधि के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा;

(ख) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के प्रतिनिधि—

- (i) संकायों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से पांच आचार्य, तीन उपाचार्य और तीन प्राध्यापक जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा ;
- (ii) विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों से एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा;
- (iii) विश्वविद्यालय संस्थाओं के शिक्षकों में से दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा;
- (iv) घटक संस्थाओं के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों में से दो आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा; और
- (v) घटक संस्थाओं के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों में से छह व्यक्ति, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा, जिनमें से कम से कम दो प्राध्यापक होंगे ।

(ग) विद्यार्थियों के प्रतिनिधि—

संकायों को सौंपे गए प्रत्येक विषय समूह से एक ऐसा विद्यार्थी, जो विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती डिग्री परीक्षा में उस विषय समूह में अधिकतम अंक प्राप्त करके विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत महाविद्यालय या संस्था में उसी समूह में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा है :

परन्तु विद्यार्थियों का ऐसा प्रतिनिधि उसके विद्यार्थी के रूप में नामांकन में समाप्त होने पर ऐसा प्रतिनिधि नहीं रहेगा ।

(घ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि—

रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के ऐसे दस प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत किसी संस्था की सेवा में नहीं है या उनके विद्यार्थी नहीं हैं या ऐसी संस्था के प्रबंधतंत्र के सदस्य नहीं हैं, जो विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सभा द्वारा सहयोजित किए जाएंगे ।

(ङ) संसद् के प्रतिनिधि—

संसद् के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से दो, लोक सभा द्वारा उसके अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से, जो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित किए जाएंगे और एक, राज्य सभा द्वारा उसके अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से, जो सभापति द्वारा निर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित किया जाएगा :

परन्तु संसद् सदस्य के मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति हो जाने पर उसका सभा के लिए निर्वाचन समाप्त हुआ समझा जाएगा ।

(च) कुलाध्यक्ष, मुख्य कुलाधिसचिव और कुलपति के नामनिर्देशिती—

(i) विद्वत् वृत्तियों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात व्यक्ति जिनके अंतर्गत उद्योग, वाणिज्य, श्रम और कृषि के प्रतिनिधि भी हैं जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ii) तीन विख्यात शिक्षाविद्, जो मुख्य कुलाधिसचिव द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iii) सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट स्थान रखने वाले तीन व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (ङ) और उपखंड (च) के अधीन सभा के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उसके उपखंड (ग) और उपखंड (घ) के अधीन एक वर्ष होगी ।

(3) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य तारीख नियत की गई हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा ।

(4) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) खंड (4) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(6) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे ।

(7) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के पच्चीस सदस्यों से होगी ।

9. कार्य परिषद्—(1) कार्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) तीन संकायाध्यक्ष, जिनका उस क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा जिसमें संकाय परिनियम 14 के खंड (1) में प्रगणित हैं;

(घ) घटक संस्थान का एक निदेशक, जिसका ऐसे निदेशकों के रूप में अधिष्ठायी सेवाकाल के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा ;

(ङ) मान्यताप्राप्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसका ऐसे प्राचार्य के रूप में अधिष्ठायी सेवाकाल के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापकों का ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा;

(छ) विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों में से एक व्यक्ति, जिसका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा;

(ज) घटक संस्थाओं के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों में से दो व्यक्ति, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा; जिनमें से कम से कम एक उपाचार्य होगा;

(झ) घटक महाविद्यालय के विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शिक्षकों में से तीन व्यक्ति, जिनका ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा, जिनमें से कम से कम एक उपाचार्य होगा;

(ञ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित चार व्यक्ति;

(ट) मुख्य कुलाधिसचिव द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक विख्यात शिक्षाविद्; और

(ठ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक विख्यात शिक्षाविद् ।

(2) खंड (1) के उपखंड (ग) से उपखंड (छ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष तथा उसके उपखंड (ज) से उपखंड (झ) तक के अधीन सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति, एक से अधिक हैसियत में कार्य परिषद् का सदस्य नहीं बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में ऐसा सदस्य हो जाता है तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर लिखित रूप में अपनी उस हैसियत के बारे में कुलसचिव को सूचित करेगा जिसमें वह ऐसा सदस्य बने रहने की वांछा करता है और दूसरे स्थान को खाली करना चाहता है, इसमें असफल रहने पर उस समय उसके द्वारा पूर्व में धारित पद खाली किया गया समझा जाएगा।

(4) कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी।

10. कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य—(1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्वों और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना :

परंतु शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हताओं के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जितने आवश्यक हों तथा विश्वविद्यालय संस्थाओं के निदेशकों और स्वतन्त्र केन्द्रों के अध्यक्ष को, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में, व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षकों के रूप में मान्यता देना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों (जिनके अन्तर्गत पीठें भी हैं) का सृजन करना तथा उन पर अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से नियुक्तियां करना;

(v) कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी वेतनभोगी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारबार और सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ता नियुक्त करना जितने वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिनके अंतर्गत अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिधान करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिधान करना जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की वैसी ही शक्तियां हैं;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्याविन्त और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाए तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसों, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) छात्राओं के आवासों और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक विशेष इंतजाम करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

11. विद्या परिषद्—(1) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) संकायों के अध्यक्ष;

(घ) अनुसंधान और विकास का संकायाध्यक्ष;

(ङ) विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष;

(च) महाविद्यालय विकास संकायाध्यक्ष;

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ज) ऐसे विभागों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय संस्थानों के निदेशक और ऐसे केन्द्रों के अध्यक्ष जो किसी विश्वविद्यालय संस्थान में सम्मिलित नहीं हैं और जो उपखंड (ख) से उपखंड (च) के अधीन सदस्य नहीं हैं :

परन्तु जहां किसी संकाय को समनुदेशित कोई विषय किसी विभाग के अधीन नहीं रखा गया है, वहां उस विषय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष, ऐसी दशा में विद्या परिषद् का सदस्य होगा जहां वह उपखंड (ख) से उपखंड (छ) के अधीन सदस्य नहीं हैं,

(झ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिनका संबद्ध संकाय के, यथास्थिति, आचार्यों, उपाचार्यों या प्राध्यापकों की ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा :

(ञ) घटक संस्थानों के निदेशक;

(ट) प्रत्येक घटक संस्थान का एक आचार्य (जो निदेशक नहीं है) ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा :

(ठ) घटक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जिनका प्राचार्य के रूप में अधिष्ठायी सेवाकाल के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा;

(ड) विश्वविद्यालय के किसी संकाय को समनुदेशित विषयों के प्रत्येक समूह से घटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के दो सदस्य (जो प्राचार्य नहीं हैं) और जिनका विषयों के संबद्ध समूह के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्यों के रूप में ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जाएगा;

(ढ) शैक्षिक उत्कृष्टता वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से स्वीकृत किसी महाविद्यालय या संस्था में सेवारत व्यक्ति नहीं हैं, विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।

(2) विद्या परिषद् के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) विद्या परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के पच्चीस सदस्यों से होगी।

12. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, घटक महाविद्यालयों में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों के अनुरक्षण और सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) संकायों, विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों और स्वतंत्र केन्द्रों के बीच समन्वय का संवर्धन करना, विश्वविद्यालय और घटक संस्थानों के बीच सहयोग करना और ऐसी समितियों, बोर्डों या स्कूलों की स्थापना करना जो इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या संकाय, विश्वविद्यालय, संस्थान, स्वतंत्र केन्द्र या घटक संस्थान या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(घ) कार्य परिषद् को सभी शैक्षिक विषयों के संबंध में सलाह देना, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित विषय;

(ii) विश्वविद्यालय की उपाधियों के लिए विशिष्ट विषयों में शिक्षा देने वाले व्यक्तियों द्वारा रखी जाने वाली अपेक्षित अर्हताएं; और

(iii) कार्य परिषद् द्वारा सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट विषय;

(ङ) पाठ्यक्रमों और अनुसंधान उपाधि कार्यक्रमों के संबंध में संकाय बोर्डों के माध्यम से अध्ययन बोर्ड द्वारा या विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा या स्वतंत्र केन्द्रों या घटक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;

(च) कार्य परिषद् के विचार के लिए उन सिद्धांतों और मानदंडों की सिफारिश करना, जिन पर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों, घटक संस्थानों और घटक महाविद्यालयों के विभिन्न प्रकार के निरीक्षण के लिए परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा; और

(छ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, आवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों, फीसों, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम और नियम बनाना।

13. वित्त समिति—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) तीन व्यक्ति कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति के किसी सदस्य को यदि वह समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है, विसम्मति-टिप्पण अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

14. संकाय और विभाग—(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्:—

(i) कला संकाय;

(ii) वाणिज्य संकाय;

(iii) विधि संकाय;

(iv) आयुर्विज्ञान संकाय; और

(v) विज्ञान संकाय।

(2) प्रत्येक संकाय के बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि, उसकी शक्तियां और कृत्यों तथा उसके अधिवेशनों के संबंध में उपबंध अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे :

परन्तु प्रत्येक संकाय का पहला बोर्ड कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा और एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) कला संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात् :—

- (i) प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व;
- (ii) मानव शास्त्र;
- (iii) अरबी और फारसी;
- (iv) शिक्षा;
- (v) अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं;
- (vi) भूगोल;
- (vii) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं;
- (viii) पत्रकारिता और जनसंपर्क संसूचना;
- (ix) मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास;
- (x) संगीत और अभिव्यक्त कलाएं;
- (xi) दर्शन शास्त्र;
- (xii) शारीरिक शिक्षा;
- (xiii) राजनीति शास्त्र;
- (xiv) मनोविज्ञान;
- (xv) संस्कृत, पाली, प्राकृत और प्राच्य भाषाएं;
- (xvi) उर्दू; और
- (xvii) दृश्य कलाएं ।

(4) वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात् :—

- (i) वाणिज्य और कारबार प्रशासन; और
- (ii) अर्थशास्त्र ।

(5) विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा, अर्थात् :—

विधि ।

(6) आयुर्विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात् :—

- (i) निश्चेतना;
- (ii) शरीर रचना विज्ञान;
- (iii) हृदय रोग विज्ञान;
- (iv) नाक, कान और गला;
- (v) न्यायालयिक आयुर्विज्ञान;
- (vi) आयुर्विज्ञान;
- (vii) सूक्ष्मजीव विज्ञान;
- (viii) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान;
- (ix) नेत्र विज्ञान;
- (x) अस्थि रोग विज्ञान;

- (xi) शिशु रोग विज्ञान;
- (xii) रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान;
- (xiii) ओषध निर्माण विज्ञान;
- (xiv) भेषजगुण विज्ञान;
- (xv) शरीर क्रिया विज्ञान;
- (xvi) विकिरण चिकित्सा विज्ञान;
- (xvii) सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान;
- (xviii) शल्य चिकित्सा; और
- (xix) क्षय रोग विज्ञान ।

(7) विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात् :—

- (i) वनस्पति विज्ञान;
- (ii) जैव रसायन;
- (iii) रसायन विज्ञान;
- (iv) रक्षा और सामरिक अध्ययन;
- (v) भू और नक्षत्र विज्ञान;
- (vi) इलेक्ट्रानिक और संसूचना;
- (vii) गृह विज्ञान;
- (viii) गणित;
- (ix) भौतिक विज्ञान;
- (x) सांख्यिकी; और
- (xi) प्राणी विज्ञान ।

(8) प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति की रीति, पदावधि और कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(9) प्रत्येक विभाग में विभागीय समिति होगी, उसका गठन, सदस्यों की पदावधि और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(10) प्रत्येक विषय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, उसका गठन, सदस्यों की पदावधि और कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

15. चयन समितियां—(1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय संस्थानों के निदेशक और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्र केन्द्रों के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

सारणी

1	2
आचार्य/उपाचार्य	(i) संकायाध्यक्ष । (ii) विभागाध्यक्ष । (iii) संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

1	2
प्राध्यापक	(i) संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष । (ii) संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य; और (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्थान की सेवा में न हो ।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्थान की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । (ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार से स्वीकृत संस्थान की सेवा में न हो, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय संस्थान का निदेशक या स्वतंत्र केन्द्र का अध्यक्ष	संबद्ध विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतर विषयक परियोजना के लिए की जा रही हो वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

टिप्पण 2—विश्वविद्यालय संस्थान की दशा में निदेशक और स्वतंत्र केन्द्र की दशा में उसका अध्यक्ष संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति का अधिवेशन बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा :

परन्तु चयन समिति के अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किए जाएंगे ।

(4) चार सदस्य, जिनके अंतर्गत कम से कम दो विशेषज्ञ हों, चयन समिति के अधिवेशन के लिए कोरम का गठन करने के लिए उपस्थित होने चाहिएं ।

(5) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी ।

(6) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह उसके कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेशों के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी:—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह पर केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी :

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा

परन्तु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा है, तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

(iii) स्थानीय चयन समिति की सलाह पर अस्थायी रूप से नियुक्त कोई शिक्षक ऐसे अस्थायी नियोजन में सेवा में तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका तत्पश्चात् अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए किसी नियमित चयन समिति द्वारा नहीं कर लिया जाता है;

(iv) जहाँ कोई शिक्षक किसी अस्थायी पद पर किसी नियमित चयन समिति की सिफारिश पर विभाग में नियुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् ऐसा पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है या उसी रैंक और श्रेणी का अन्य स्थायी पद उसी विभाग में उपलब्ध हो जाता है तो कार्य परिषद् ऐसे शिक्षक को ऐसे विभाग में नियमित चयन समिति को निर्देश किए बिना नियुक्त कर सकेगी।

16. नियुक्ति का विशेष ढंग—(1) परिनियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, आचार्य का पद या कोई अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद् किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय का अध्यापक घोषित कर सकेगी।

(3) पीठों और प्रतिष्ठित आचार्यों के लिए नियुक्तियां, कार्य परिषद् द्वारा अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, की जाएंगी।

(4) कार्य परिषद् परिनियम 15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

17. शैक्षणिक कर्मचारिवृंद—(1) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, में शिक्षक और अनुसंधान के लिए अनुदेश देने या उसका संचालन करने या सहायता करने के लिए नियोजित कर्मचारिवृंद होंगे।

(2) शिक्षकों से भिन्न शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की रीति वह होगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

18. शिक्षकों की मान्यता—(1) विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएं।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति में किए जाएंगे, जो कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं।

(3) कार्य परिषद्, कुलपति के निर्देश पर किसी शिक्षक की मान्यता वापस ले सकेगी, परंतु संबद्ध शिक्षक या महाविद्यालय या संस्था, वापस लिए जाने के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कुलाधिपति के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

19. समितियां—(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा, जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) खण्ड (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

20. शिक्षकों, आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता—(1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

21. अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता—शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और परिलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे।

22. ज्येष्ठता सूची—(1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह, जिन व्यक्तियों को इन परिणियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) इस परिणियम के उपबंध नियत दिन से पूर्व विश्वविद्यालय के कार्यरत कार्यकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का प्रभावित नहीं करेंगे।

23. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना—(1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खण्ड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिणियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

24. पुस्तकालयाध्यक्ष—(1) विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा जो कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

25. अनुसंधान, विकास और परामर्श तथा विस्तार सेवाओं का संवर्धन—(1) विश्वविद्यालय में अनुसंधान, विकास और परामर्श तथा विस्तार सेवाओं की योजना बनाने और उनके समन्वयन में कुलपति की सहायता के लिए एक अनुसंधान और विकास संकायाध्यक्ष होगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा।

26. सम्मानिक उपाधि—(1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी :

परंतु आपातस्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिराई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगी।

27. उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना—(1) कार्य परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अनूय बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी :

परन्तु जब तक इस आशय की लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों नहीं पारित कर दिया जाए, उस व्यक्ति को उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नहीं दी जाती और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे विचार नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा।

28. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना—(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति को सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा, जो अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और उपाचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था, या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्था के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुमाने से दण्डित किया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा उसे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह हुआ है या वे सम्मिलित हुए हैं; परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(5) संकायाध्यक्षों, विभागों और केन्द्रों के अध्यक्षों, विश्वविद्यालय संस्थानों और घटक संस्थानों के निदेशकों तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों और घटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपने-अपने संकायों, विभागों, स्वतंत्र केन्द्रों, विश्वविद्यालय संस्थानों, घटक संस्थानों, विश्वविद्यालय घटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के संबंध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा जो उसके उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) खंड (5) में विनिर्दिष्ट कुलपति, और संकायाध्यक्षों, अध्यक्षों, निदेशकों और प्राचार्यों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और ऐसे संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष, निदेशक और प्राचार्य ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे जो वे इसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

29. विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत संस्थाओं के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना—(1) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत किसी संस्था के छात्रों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, संस्था के निदेशक या प्राचार्य में निहित होंगी।

30. विश्वविद्यालय संस्थान, स्वतंत्र केन्द्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय और घटक संस्थान—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व विश्वविद्यालय के संस्थान, अर्थात् :—

- (i) अन्तर अनुशासनिक अध्ययन संस्थान;
- (ii) वृत्तिक अध्ययन संस्थान; और
- (iii) राष्ट्रीय प्रयोगिक खनिज विज्ञान और पेट्रोल विज्ञान केन्द्र,

विश्वविद्यालय संस्थानों के रूप में बने रहेंगे और आचार और ज्ञानात्मक विज्ञान केन्द्र विश्वविद्यालय के स्वतंत्र केन्द्र के रूप में बने रहेंगे तथा उनसे संबंधित सभी विषय अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएंगे।

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा संस्थान, अस्थायी, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय संस्थान बने रहेंगे और उससे संबंधित सभी विषय अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएंगे।

(3) विश्वविद्यालय संस्थानों, केन्द्रों और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को स्थापित करने की रीति तथा उनसे संबंधित अन्य विषय अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) निम्नलिखित विश्वविद्यालय विद्यालय होंगे, अर्थात् :—

मोतीलाल नेहरू, मेडिकल कालेज और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ।

(5) निम्नलिखित घटक संस्थान होंगे, अर्थात् :—

(i) गोविन्द बल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद; और

(ii) हरीशचन्द्र गणित और गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद ।

(iii) कमला नेहरू, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ।

(6) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में संस्थाओं की घटक संस्थानों और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के रूप में स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय संस्थानों और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से संबंधित अन्य विषय अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

31. घटक महाविद्यालय—(1) निम्नलिखित घटक महाविद्यालय होंगे, अर्थात् :—

(i) इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(ii) आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(iii) चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(iv) इविंग क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद;

(v) ईश्वर सरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(vi) हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(vii) जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(viii) के०पी० ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद;

(ix) राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद;

(x) सांवल दास सदन लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद; और

(xi) श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कालेज, इलाहाबाद ।

(2) प्रबंधतंत्र का गठन, कुलपति के निदेश जारी करने और अपने आदेशों को प्रबंधतंत्र के विरुद्ध प्रवृत्त करने की शक्तियां, बने रहने के लिए शर्तें और घटक महाविद्यालयों को विशेषाधिकार देना और वापस लेना तथा उन्हें घटक महाविद्यालयों की स्वायत्त प्रास्थिति मंजूर करना तथा उसे वापस लेने से संबंधित विषय अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे :

परन्तु प्रत्येक घटक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12(गगग) के अधीन स्थापित विजिटिंग पियर टीम आफ दि नेशनल असेसमेंट एंड एक्कीडिटेशन काउंसिल द्वारा निर्धारण की प्रक्रिया से गुजरने की अपेक्षा की जाएगी तथा उक्त परिषद् द्वारा अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर मान्यताप्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) जहां उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति का अधिनियम 10) के उपबंधों के अधीन किसी घटक महाविद्यालय को पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री के लिए, जो विधि स्नातक की डिग्री से भिन्न है, शिक्षा देने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई थी या स्वायत्तशासी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई थी वहां ऐसी अनुज्ञा ऐसे शैक्षणिक वर्ष जिसके दौरान अधिनियम प्रारंभ हुआ है, से ठीक आगामी शैक्षणिक वर्ष के, या ऐसी अवधि के, जिसके लिए अनुज्ञा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त की गई है, इनमें जो भी पूर्वतर हो, नए रूप से ऐसी अनुज्ञा के लिए परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार आवेदन करने के लिए संबद्ध घटक महाविद्यालय के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवसान पर समाप्त हो जाएगी ।

(4) अध्यादेशों द्वारा घटक महाविद्यालयों के शैक्षिक कार्यकरण और विकास को मानीटर करने और संवर्धन करने के लिए एक महाविद्यालय विकास परिषद् गठित की जाएगी ।

(5) महाविद्यालय विकास परिषद् की अध्यक्षता महाविद्यालय विकास संकायाध्यक्ष द्वारा की जाएगी जिसे विश्वविद्यालय के आचार्यों में से अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

32. दीक्षांत समारोह—उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

33. अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के

लिए इस प्रकार का उपबन्ध किया गया है, वह अनुपस्थित है वहां उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

34. त्यागपत्र—सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा।

35. निरहताएं—(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रधिकारी में से किसी का सदस्य चुने होने के लिए निरहित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह माह से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरहताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

36. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें—परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

37. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता—परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है।

38. रजिस्ट्रीकृत स्नातक—स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर के अनुरक्षण की बाबत उपबंध अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

39. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष और बोर्ड—(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों का समन्वय करने के लिए एक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष होगा जो अध्यादेशों में विहित रीति में विश्वविद्यालय के आचार्यों और उपाचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय में एक छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उसका गठन, सदस्यों की पदावधि और उसके कृत्य, अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

40. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे—(1) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित उपधाराओं में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 29 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के बारे में, कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अध्यादेश के, प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् को, खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

41. विनियम—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी उस प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

42. शक्तियों का प्रत्यायोजन—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाली अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

THE UNIVERSITY OF ALLAHABAD ACT, 2005

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

1. Short title and commencement.
2. Declaration of University of Allahabad as Institution of national importance.
3. Definitions.
4. Incorporation of University of Allahabad.
5. Effect of incorporation of Allahabad University.
6. Objects of University.
7. Powers of University.
8. Jurisdiction.
9. University open to all persons irrespective of gender, class or creed.
10. The Visitor.
11. The Chief Rector.
12. Officers of University.
13. The Chancellor.
14. The Vice-Chancellor.
15. The Pro-Vice-Chancellor.
16. The Deans of Faculties.
17. The Registrar.
18. The Finance Officer.
19. Other officers.
20. Authorities of University.
21. The Court.
22. The Executive Council.
23. The Academic Council.
24. The Finance Committee.
25. Other authorities.
26. The Faculties and Departments.
27. Power to make Statutes.
28. Statutes, how to be made.
29. Power to make Ordinances.
30. Regulations.
31. Annual report.
32. Accounts and audit.
33. Furnishing returns, etc.
34. Conditions of service of employees.
35. Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.
36. Right to appeal.
37. Provident and pension funds.
38. Disputes as to constitution of University authorities and bodies.
39. Filling of casual vacancies.
40. Proceedings of University authorities or bodies not invalidated by vacancies.
41. Protection of action taken in good faith.
42. Mode of proof of University record.
43. Power to remove difficulties.
44. Statutes, Ordinances and Regulations to be published in the Official Gazette and to be laid before Parliament.
45. Transitional provisions.
46. Amendment of President's Act 10 of 1973.

THE SCHEDULE

THE UNIVERSITY OF ALLAHABAD ACT, 2005

ACT NO. 26 OF 2005

[23rd June, 2005.]

An Act to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the University of Allahabad Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Declaration of University of Allahabad as Institution of national importance.—Whereas the objects of the University of Allahabad in the State of Uttar Pradesh are such as to make it an Institution of national importance, it is hereby declared that the said University is an Institution of national importance.

3. Definitions.—In this Act, and in all Statutes made hereunder, unless the context otherwise requires,—

(a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;

(b) “academic staff” means such categories of staff as are designated as academic staff by the Statutes;

(c) “appointed day” means the date of establishment of the University of Allahabad under sub-section (1) of section 4;

(d) “Centre” means a unit of the University or of a University Institute providing teaching, consultancy and research facilities;

(e) “Chancellor” means the Chancellor of the University appointed under section 13;

(f) “Constituent College” means a college prescribed as such by the Statutes;

(g) “Constituent Institute” means an Institute prescribed as such by the Statutes;

(h) “Court” means the Court of the University;

(i) “Department” means a Department of a Faculty;

(j) “Director” means the head of a University Institute or Constituent Institute;

(k) “employee” means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(l) “Executive Council” means the Executive Council of the University;

(m) “Faculty” means a Faculty of the University;

(n) “Finance Officer” means the Finance Officer of the University appointed under section 18;

(o) “Ordinances” means the Ordinances of the University;

(p) “Principal” means the head of a University College or a Constituent College;

(q) “Pro-Vice-Chancellor” means the Pro-Vice-Chancellor of the University appointed under section 15;

(r) “Registrar” means the Registrar of the University appointed under section 17;

(s) “Regulations” means the Regulations of the University;

(t) “Statutes” means the Statutes of the University;

1. 14th July, 2005, *vide* notification No. S.O. 978(E), dated 11th July, 2005, *see* Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

- (u) “teacher” means Professors, Readers and Lecturers appointed or recognised by the University;
- (v) “University” means the University of Allahabad established and incorporated under section 4;
- (w) “University appointed teacher” means a teacher appointed by the University for imparting instruction and conducting research in the University or any college or institution maintained by the University;
- (x) “University College” means a college or an institution maintained by the University or admitted to the privileges of the University as a Faculty;
- (y) “University Institute” means an Institute, established and maintained by the University;
- (z) “University recognised teacher” means a teacher recognised by the University for imparting instruction and conducting research in a college or institution admitted to the privileges of the University; and
- (za) “Vice-Chancellor” means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 14.

4. Incorporation of University of Allahabad.—(1) The University of Allahabad in the State of Uttar Pradesh, established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973), shall be established as a body corporate under this Act having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(2) The first Chancellor, the first Vice-Chancellor and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council, and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, shall constitute the University.

(3) The headquarters of the University shall be at Allahabad.

5. Effect of incorporation of Allahabad University.—On and from the appointed day,—

- (a) any reference to the University of Allahabad in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;
- (b) all properties, movable and immovable, of or belonging to the University of Allahabad shall vest in the University;
- (c) all rights and liabilities of the University of Allahabad shall be transferred to, and be the rights and liabilities of, the University;
- (d) every person employed by the University of Allahabad immediately before the appointed day shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund and other matters as he would have held the same if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Statutes:

Provided that if the alteration so made is not acceptable to such employee, his employment may be terminated by the University in accordance with the term of the contract with the employee or, if no provision is made therein in this behalf, on payment to him by the University of compensation equivalent to three months' remuneration in case of permanent employees and one month's remuneration in the case of other employees:

Provided further that every person employed before the appointed day, pending the execution of a contract under section 34, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of a contract consistent with the provisions of this Act and the Statutes:

Provided also that any reference, by whatever form of words, to the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the University of Allahabad in any law for the time being in force, or in any instrument or other document, shall be construed as a reference respectively to the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(e) the Vice-Chancellor of the University, appointed under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973) shall be deemed to have been appointed as

the Vice-Chancellor under this Act, and shall hold office for a period of three months or till such time the Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier.

6. Objects of University.—The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit; to make provisions for integrated courses in the humanities, the social sciences, the basic and applied science and technology in the educational programmes of the University; to take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process, interdisciplinary and professional studies and research, removal of gender disparities and the digital divide, and the application of knowledge to social advancement, national progress and human welfare; and to educate and train human resource for the development of the country.

7. Powers of University.—The University shall have the following powers, namely:—

(i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(iii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(iv) to organise and to undertake open learning programmes, extramural studies, training and extension services;

(v) to institute Chairs, Principalships, Professorships, Readerships and Lecturerships and other teaching and academic positions, required by the University and to appoint persons to such Chairs, Principalships, Professorships, Readerships and Lecturerships and other teaching and academic positions;

(vi) to recognise persons as University recognised teachers;

(vii) to declare persons working in any other University or organisation, as teachers of the University;

(viii) to appoint, on contract or otherwise, visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, Scholars and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(ix) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(x) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

(xi) to establish and maintain University Colleges and University Institutes for imparting instruction and conducting research;

(xii) to admit to its privileges colleges and institutions situated within the territorial jurisdiction of the University, as University Colleges, Constituent Institutes and Constituent Colleges, and to withdraw all or any of those privileges in accordance with such conditions as may be prescribed by the Statutes;

(xiii) to confer autonomous status on a college or an institution or a Department, as the case may be, and to withdraw such status, in accordance with the Statutes;

(xiv) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner as may be prescribed and for such purposes as the University may determine;

(xv) to determine standards of admission, including examination, evaluation or any other method of testing, to the University, and the institutions maintained by or admitted to the privileges of the University;

(xvi) to demand and receive payment of fees and other charges;

(xvii) to establish and recognise hostels and supervise the residence of the students of the University, make arrangements for promoting their health and general welfare and guide the Constituent Colleges and the Constituent Institutes to like ends in respect of the students enrolled thereat;

(xviii) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;

(xix) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(xx) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes of the University:

Provided that no immovable property shall be disposed off except with the prior approval of the Central Government;

(xxi) to borrow, with the approval of the Central Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University; and

(xxii) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

8. Jurisdiction.—(1) Save as otherwise provided by this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in respect of the area within a radius of sixteen kilometres from the Convocation Hall of the University, without prejudice to the territorial jurisdiction over the said area that may be assigned to any other University.

(2) On and from the appointed day, all institutions admitted to the privileges of, or maintained by, the University of Allahabad as incorporated under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973) shall stand admitted to the privileges of, or maintained by, the University and shall be governed by such conditions as may be prescribed by Statutes.

9. University open to all persons irrespective of gender, class or creed.—The University shall be open to all persons of either sex and of whatever caste, creed, race or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any office therein or be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, physically handicapped or of persons belonging to the weaker sections of the society and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

10. The Visitor.—(1) The President of India shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor may, from time to time, appoint one or more persons to review the work and progress of the University, including the colleges and institutions maintained by it, and to submit a report thereon; and upon receipt of such report, the Visitor may, after obtaining the views of the Executive Council thereon through the Vice-Chancellor, take such action and issue such directions as he considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the University shall be bound to comply with such directions.

(3) The Visitor shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries, laboratories and equipment, and of any college or institution maintained by the University or admitted to its privileges; and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, and the said colleges and institutions.

(4) The Visitor shall, in every matter referred to in sub-section (3), give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made—

(a) to the University, if such inspection or inquiry is to be made in respect of the University or any college or institution maintained by it, or

(b) to the Management of the college or institution, if the inspection or inquiry is to be made in respect of a college or institution admitted to the privileges of the University, and the University or the Management, as the case may be, shall have the right to make such representations to the Visitor, as it may consider necessary.

(5) After considering the representations, if any, made by the University or the Management, as the case may be, the Visitor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).

(6) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Visitor, the University or the Management shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(7) The Visitor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any college or institution maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry together with such views and advice with regard to the action to be taken thereon, as the Visitor may be pleased to offer, and on receipt of address made by the Visitor, the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council, the views of the Visitor with such advice as the Visitor may offer upon the action to be taken thereon.

(8) The Visitor may, if the inspection or inquiry is made in respect of any college or institution admitted to the privileges of the University, address the Management concerned through the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, his views thereon and such advice as he may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.

(9) The Executive Council or the Management, as the case may be, communicate, through the Vice-Chancellor to the Visitor such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.

(10) Where, the Executive Council or the Management, as the case may be, does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Visitor, the Visitor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the Management, issue such directions as he may think fit and the Executive Council or the Management, as the case may be, shall comply with such directions.

(11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Visitor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with the Act or the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Visitor shall call upon the Registrar to show cause why such an order should not be made, and, if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(12) The Visitor shall have such other powers as may be prescribed by the Statutes.

11. The Chief Rector.—The Governor of the State of Uttar Pradesh shall be the Chief Rector of the University.

12. Officers of University.—The following shall be the officers of the University,—

(1) the Chancellor;

(2) the Vice-Chancellor;

(3) the Pro-Vice-Chancellor;

(4) the Deans of Faculties;

(5) the Registrar;

(6) the Finance Officer; and

(7) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

13. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University and shall, if present, preside at the Convocations of the University held for conferring degrees and meetings of the Court.

14. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner and on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him on such matter:

Provided that such exercise of power shall be made only in emergent situations and in no case in respect of creation, and upgradation of posts and appointments thereto:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Visitor whose decision thereon shall be final:

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this subsection shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

15. The Pro-Vice-Chancellor.—The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

16. The Deans of Faculties.—Every Dean of Faculty shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

17. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

18. The Finance Officer.—The Finance Officer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

19. Other officers.—The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

20. Authorities of University.—The following shall be the authorities of the University,—

- (1) the Court;
- (2) the Executive Council;
- (3) the Academic Council;
- (4) the Boards of Faculties;
- (5) the Finance Committee; and
- (6) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

21. The Court.—(1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
- (b) to consider and pass resolutions on the annual report and annual accounts of the University and the audit report on such accounts;
- (c) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (d) to perform such other functions as may be prescribed by the Statutes.

22. The Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes.

23. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes.

24. The Finance Committee.—The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

25. Other authorities.—The constitution, powers and functions of the Boards of Faculties and such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be prescribed by the Statutes.

26. The Faculties and Departments.—(1) The University shall have such Faculties as are prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall have such Departments as are prescribed by the Statutes, and each Department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.

27. Power to make Statutes.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;
- (b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities and bodies, the filling up of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments and conditions of service;

- (d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, their emoluments and conditions of service;
- (e) the recognition of persons as University recognised teachers;
- (f) the declaration of persons working in other Universities or other organisations as teachers of the University for a specified period;
- (g) the conditions of service of employees of the University including provisions for pension, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action relating to such employees;
- (h) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;
- (i) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;
- (j) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;
- (k) the conditions under which colleges and institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal of such privileges;
- (l) the establishment and abolition of Faculties, Departments, University Institutes, Centres and University Colleges;
- (m) the conferment of autonomous status on a college or institution or a Department and the withdrawal of such status;
- (n) the conferment of honorary degrees;
- (o) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (p) the registration of graduates;
- (q) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;
- (r) the maintenance of discipline among the employees and students; and
- (s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

28. Statutes, how to be made.—(1) The First Statutes are those set out in the Schedule.

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the assent of the Visitor who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for re-consideration.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Visitor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Visitor may make new or additional Statutes, or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act:

Provided that the Visitor may, on the expiry of the said period of three years, make, within one year from the date of such expiry, such detailed Statutes as he may consider necessary and such detailed Statutes shall be laid before both Houses of Parliament.

(6) Notwithstanding anything contained in this section, the Visitor may direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such direction within sixty days of its receipt, the Visitor may, after considering the reasons,

if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

29. Power to make Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission and enrolment of students to the University and institutions maintained by or admitted to the privileges of the University;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;

(f) the institution of, and conditions for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them;

(j) the establishment of Centres, University Institutes, Boards of Studies, Specialised Laboratories and Committees;

(k) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities, Institutions and other Agencies including learned bodies or associations;

(m) the setting up of a machinery for redressal of grievances of employees; and

(n) all other matters which by this Act or the Statutes, are to be or may be, provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Central Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

30. Regulations.—The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances and for such matters as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

31. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) The Court shall submit the annual report to the Visitor along with its comments, if any.

(3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Central Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

32. Accounts and audit.—(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall once at least every year, and at intervals

of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or by such persons as he may authorise in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the Court and the Visitor along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Visitor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the observations of the Court, if any, shall, after being considered by the Executive Council, be submitted to the Visitor.

(4) A copy of the annual accounts together with the audit report as submitted to the Visitor, shall also be submitted to the Central Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

(5) The audited annual accounts after having been laid before both Houses of Parliament shall be published in the Gazette of India.

33. Furnishing returns, etc.—The University shall furnish to the Central Government such returns or other information with respect to its property or activities as the Central Government may, from time to time, require.

34. Conditions of service of employees.—(1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any employee shall, at the request of the employee, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Visitor.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matters decided by the Tribunal.

(4) Every request made by the employee under sub-section (2), shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

(5) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be prescribed by the Statutes.

35. Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.—(1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Executive Council and the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be.

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Tribunal of Arbitration and the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 34 shall, as far as may be, apply to a reference made under this sub-section.

36. Right to appeal.—Every employee or student of the University or of an Institution maintained by the University or admitted to its privileges shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Executive Council against the decision of any officer or authority of the University, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

37. Provident and pension funds.—(1) The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) Where such provident fund or pension fund has been so constituted, the Central Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), shall apply to such fund as if it were a Government provident fund.

38. Disputes as to constitution of University authorities and bodies.—If any question arises as to whether any person has been duly appointed or elected as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

39. Filling of casual vacancies.—All casual vacancies among the members, other than *ex officio* members, of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, elects or co-opts the member whose place has become vacant and person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

40. Proceedings of University authorities or bodies not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

41. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

42. Mode of proof of University record.—Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or other body of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

43. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the order or both Houses agree that the order should not be made, the order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that order.

44. Statutes, Ordinances and Regulations to be published in the Official Gazette and to be laid before Parliament.—(1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute, Ordinance or Regulation or both Houses agree that the Statute, Ordinance or Regulation should not be made, the Statute, Ordinance or Regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute, Ordinance or Regulation.

(3) The power to make Statutes, Ordinances or Regulations shall include the power to give retrospective effect, from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statute, Ordinance or Regulation or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statute,

Ordinance or Regulation so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such Statute, Ordinance or Regulation may be applicable.

45. Transitional provisions.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes,—

(a) the first Chancellor and the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Central Government in such manner and on such conditions as may be deemed fit and each of the said officers shall hold office for such term, not exceeding five years, as may be specified by the Central Government;

(b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Central Government and each of the said officers shall hold office for a term of three years;

(c) the first Court and the first Executive Council shall consist of not more than thirty-one members and fifteen members, respectively, who shall be nominated by the Central Government and shall hold office for a term of three years;

(d) the first Academic Council shall consist of not more than thirty-one members, who shall be nominated by the Central Government and shall hold office for a term of three years:

Provided that if any vacancy occurs in the above-mentioned offices or authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the Central Government, and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held office if such vacancy had not occurred.

(2) Till such time as the first Ordinances are not made under sub-section (2) of section 29, in respect of the matters that are to be provided for by the Ordinances under this Act and Statutes, the relevant provisions of the Statutes and the Ordinances made immediately before the commencement of this Act under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973) shall be applicable insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes.

46. Amendment of President's Act 10 of 1973.—(1) In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973,—

(a) the word “Allahabad”, except in clause (b) of sub-section (2) of section 12, sub-section (1) of section 31B, clause (b) of sub-section (1) of section 74, clause (j) of sub-section (3) of section 74, and entries relating to Serial No. 5 in the Schedule, wherever it occurs, shall be omitted;

(b) in the Schedule, Serial No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

(2) Notwithstanding such omission,—

(a) all appointments made, orders issued, degrees and other academic distinctions conferred, diplomas and certificates awarded, privileges granted, or other things done (including the registration of graduates) under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973), shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, awarded, granted or done under the corresponding provisions of this Act and, except as otherwise provided by or this Act or the Statutes, continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act or the Statutes; and

(b) all proceedings of Selection Committees for the appointment or promotion of teachers that took place before the commencement of this Act and all actions of the Executive Council in respect of the recommendations of such Selection Committees where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act shall, notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement, except if the concerned authorities take, with the approval of the Visitor, a decision to the contrary.

THE SCHEDULE

(see section 28)

THE STATUTES OF THE UNIVERSITY

1. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons recommended by the Executive Council from amongst persons of eminence in the academic or public life of the country:

Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

(2) The Chancellor shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of his term of office the Chancellor shall continue to hold office until his successor enters upon his office.

2. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons who shall be recommended by a Committee as constituted under clause (2):

Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for an extended or a fresh panel.

(2) The Committee referred to in clause (1) shall consist of three persons, out of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Visitor and the nominee of the Visitor shall be the convener of the Committee:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or an institution maintained by, or admitted to the privileges of, the University or a member of any authority of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office:

Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him or till his successor is appointed and enters upon his office, whichever is earlier.

(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:—

(i) the Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary and allowances, other than house rent allowance, at the rates fixed by the Central Government from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance of such residence;

(ii) the Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Central Government from time to time:

Provided that where an employee of the University, or a college or an institution maintained by, or admitted to the privileges of, the University, or of any other University or any college or institution maintained by or admitted to the privileges of, such other University, is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme;

(iii) the Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rates as may be fixed by the Executive Council;

(iv) the Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half-yearly instalments of fifteen days each on the first day of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes or relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a-half days for each completed month of service;

(v) in addition to the leave referred to in sub-clause (iv), the Vice-Chancellor shall also be entitled to half-pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service, and half-pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate:

Provided that when such commuted leave is availed of, twice the amount of half-pay leave shall be debited against half-pay leave due.

(6) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill-health or any other cause, the Pro-Vice-Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor:

Provided that if the Pro-Vice-Chancellor is not available, the senior most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his office, as the case may be.

3. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be *ex officio* Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees and at meetings of the Court.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of such authority or body.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(4) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he deems fit.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

4. Pro-Vice-Chancellor.—(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that where the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Executive Council, the matter shall be referred to the Visitor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or ask the Vice-Chancellor to recommend another person to the Executive Council:

Provided further that the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, appoint a Professor to discharge the duties of a Pro-Vice-Chancellor in addition to his own duties as a Professor.

(2) The term of office of a Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council but it shall not in any case exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier:

Provided that a Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment:

Provided further that, in any case, a Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty-five years:

Provided also that a Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice-Chancellor under clause (6) of Statute 1, continue in office notwithstanding the expiration of his term of office as Pro-Vice-Chancellor, until the Vice-Chancellor resumes office or a new Vice-Chancellor assumes office, as the case may be.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of a Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

5. Deans of Faculties.—(1) Every Dean of Faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the Faculty by rotation in the order of seniority for a period of three years:

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a Faculty, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Readers in the Faculty by rotation in the order of seniority:

Provided further that in the case of a Faculty comprising a University College, the Principal of such University College shall be the *ex officio* Dean of the Faculty.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Reader, as the case may be, in the Faculty.

(3) The Dean shall be the *ex officio* Chairman of the Board of the Faculty and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the Faculty and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

(4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or Committees of the Faculty, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

(5) Notwithstanding anything contained in clause (1), every teacher serving as Dean of a Faculty immediately before the appointed day, shall continue as such up to the date on which he would have continued as Dean if the Act had not been enacted and thereafter the Dean of the concerned Faculty shall be appointed in accordance with the provisions of clause (1) above.

6. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) He shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years:

Provided further that a Registrar shall, notwithstanding his attaining the age of sixty-two years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier.

(4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) (a) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

(c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the concluding of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(6) The Registrar shall be *ex officio* Secretary of the Court, the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(7) It shall be the duty of the Registrar—

(a) to be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, and the Academic Council, the college development council and of any Committees appointed by those authorities;

(c) to keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities;

(d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic Council;

(e) to arrange for and superintend the examinations of the University in the manner prescribed by the Ordinances;

(f) to supply to the Visitor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

(g) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(h) to perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

7. The Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty years:

Provided further that the Finance Officer shall, notwithstanding his attaining the age of sixty years, continue in office until his successor is appointed and enters upon his office or until the expiry of a period of one year, whichever is earlier.

(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Finance Officer shall be *ex officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(6) The Finance Officer shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—

(a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;

(d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

(e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, University Institutes, Centres and Specialised Laboratories;

(g) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(h) call for from any office, Department, University Institute, independent Centre, Specialised Laboratory or User Facility maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(8) Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorised in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

8. The Court.—(1) The Court shall consist of the following members, namely:—

(a) *Ex officio* Members

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(iv) the members of the Executive Council other than the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor and the Deans of Faculties;

(v) the Deans of Faculties;

(vi) the Finance Officer;

(vii) the Dean of Research and Development, in case he is not a member under any other provision of this sub-clause;

(viii) the Dean of College Development, in case he is not a member under any other provision of this sub-clause;

(ix) the Librarian;

(x) such Heads of Departments, Directors of University Institutes, Directors of Constituent Institutes and Heads of Centres which are not comprised in any University Institute, as are not members under any other provision of this sub-clause; and

(xi) two Principals of Constituent Colleges, to be selected by rotation in the order of length of substantive service as Principals.

(b) Representatives of the academic staff

(i) five Professors, three Readers and three Lecturers from among the University appointed teachers of the Faculties, to be selected by rotation in the order of seniority;

(ii) one Professor, one Reader and one Lecturer from among the University recognised teachers of the University Colleges, to be selected by rotation in the order of seniority;

(iii) two Professors, two Readers and two Lecturers from among the teachers of the University Institutes, to be selected by rotation in the order of seniority;

(iv) two Professors, one Reader and one Lecturer from among the University recognised teachers of the Constituent Institutes, to be selected by rotation in the order of seniority; and

(v) six persons from among the University recognised teachers of the Constituent Colleges, to be selected by rotation in the order of seniority, of whom at least two shall be Lecturers.

(c) Representatives of Students

one student from each group of subjects assigned to the Faculties who, having secured the highest marks in that group of subjects at the preceding degree examination of the University, is pursuing a course of study for a Post-graduate degree in the same group of subjects in the University or in a college or institution maintained by the University or admitted to the privileges of the University:

Provided that a representative of students shall no longer continue as such representative on the termination of his enrolment as a student.

(d) Representatives of Registered Graduates

ten representatives of the registered Graduates, not being persons in the service or students of the University or an institution maintained by or admitted to the privileges of the University or a member of the management of such institution, to be co-opted by the Court in accordance with the procedure laid down in the Regulations.

(e) Representatives of Parliament

(i) three representatives of Parliament, two to be elected by the Lok Sabha from amongst its own members, in such manner as the Speaker may direct, and one to be elected by the Rajya Sabha from amongst its own members, in such manner as the Chairman may direct:

Provided that consequent upon a Member of Parliament becoming a Minister or Speaker/Deputy Speaker, Lok Sabha or Deputy Chairman, Rajya Sabha, his election to the Court shall be deemed to have been terminated.

(f) Nominees of the Visitor, the Chief Rector and the Chancellor

(i) seven persons representing learned professions and special interests, including representatives of Industry, Commerce, Labour and Agriculture, to be nominated by the Visitor;

(ii) two eminent educationists, to be nominated by the Chief Rector; and

(iii) three persons of distinction in public life, to be nominated by the Chancellor.

(2) The term of office of the members of the Court under sub-clauses (a), (b), (e) and (f) of clause (1) shall be three years and under sub-clauses (c) and (d) thereof shall be one year.

(3) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year.

(4) At the annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.

(5) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in clause (4) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.

(6) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice-Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there is no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.

(7) Twenty-five members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

9. The Executive Council.—(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) three Deans of Faculties, to be selected by rotation in the order in which the Faculties are enumerated in clause (1) to Statute 14;

(d) one Director of a Constituent Institute, to be selected by rotation in the order of length of substantive service as such Director;

(e) one Principal of a Constituent College, to be selected by rotation in the order of length of substantive service as such Principal;

(f) two Professors, two Readers and two Lecturers from among the University appointed teachers, to be selected by rotation in the order of seniority;

(g) one person from among the University recognised teachers of University Colleges, to be selected by rotation in the order of seniority;

(h) two persons from among the University recognised teachers of Constituent Institutes, to be selected by rotation in the order of seniority, of whom at least one shall be a Lecturer;

(i) three persons from among the University recognised teachers of Constituent Colleges, to be selected by rotation in the order of seniority, of whom at least one shall be a Lecturer;

(j) four persons to be nominated by the Visitor;

(k) one person of academic eminence to be nominated by the Chief Rector; and

(l) one person of academic eminence to be nominated by the Chancellor.

(2) The term of office of members of the Executive Council under sub-clauses (c) to (g) of clause (1) shall be two years, and of members under sub-clauses (h) to (j) thereof shall be three years.

(3) No person shall continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person becomes such member in more than one capacity, he shall within two weeks thereof intimate to the Registrar in writing as to the capacity in which he desires to be such member and vacate the other seat, failing which the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated.

(4) Seven members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

10. Powers and functions of the Executive Council.—(1) The Executive Council shall have the power of management and administration of the revenues and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(i) to create teaching and other academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Readers, Lecturers and other academic staff:

Provided that no action shall be taken by the Executive Council in respect of the number and qualifications of teachers and other academic staff otherwise than after consideration of the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint such Professors, Readers, Lecturers and other academic staff, as may be necessary, and the Directors of University Institutes and Heads of independent Centres on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;

(iii) to recognise persons as University recognised teachers in the manner prescribed by the Ordinances;

(iv) to create administrative, ministerial and other necessary posts (including Chairs) and to make appointments thereto in the manner prescribed by the Ordinances;

(v) to grant leave of absence to any salaried officer of the University other than the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence;

(vi) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(vii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;

(viii) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendation of the Finance Committee;

(ix) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stocks, funds, share or securities, from time to time as it may think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like powers of varying such investment from time to time;

(x) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

(xi) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xii) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(xiii) to entertain, adjudicate upon, and if thought fit, to redress any grievances of the employees and students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(xiv) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(xv) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(xvi) to make such special arrangements as may be necessary for the residence and discipline of women students;

(xvii) to institute fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments; and

(xix) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statutes.

11. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Deans of the Faculties;

(d) the Dean of Research and Development;

(e) the Dean of Students Welfare;

(f) the Dean of College Development;

(g) the Librarian;

(h) such Heads of Departments, Directors of University Institutes and Heads of Centres not comprised in any University Institute, as are not members under sub-clauses (b) to (f):

Provided that where a subject assigned to any Faculty is not placed under any Department, the Chairman of the Board of Studies of the subject shall be a member of the Academic Council in case he is not already a member under sub-clauses (b) to (g);

(i) one Professor, one Reader and one Lecturer from each Faculty, selected by rotation in the order of seniority of Professors, Readers or Lecturers, as the case may be, of the concerned Faculty;

(j) the Directors of Constituent Institutes;

(k) one Professor (not being Director) of each Constituent Institute, selected by rotation in the order of seniority;

(l) two Principals of Constituent Colleges, selected by rotation in the order of length of substantive service as Principal;

(m) two members of the academic staff (not being Principals) of Constituent Colleges from each group of subjects assigned to a Faculty of the University, selected by rotation in the order of seniority as such members of the academic staff of the concerned group of subjects; and

(n) five persons, not being persons of academic excellence in the service of the University or a college or an institution admitted to the privileges of the University, to be co-opted by the Academic Council.

(2) The term of office of members (other than *ex officio* members) of the Academic Council shall be three years.

(3) Twenty-five members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council.

12. Powers and functions of the Academic Council.—Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, coordination of teaching among the Constituent Colleges, evaluation of research and maintenance and improvement of academic standards;

(b) to promote co-ordination between Faculties, Departments, University Institutes and independent Centres, collaboration between the University and Constituent Institutes and establish such committees, boards or schools as may be deemed necessary for these purposes;

(c) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a Faculty, University Institute, independent Centre or Constituent Institute or the Executive Council, and to take appropriate action thereon;

(d) to advise the Executive Council on all academic matters, including—

(i) matters relating to the examinations conducted by the University;

(ii) the qualifications required to be possessed by persons imparting instruction in particular subjects for the degrees of the University; and

(iii) matters referred to it for advice by the Executive Council;

(e) to consider and approve proposals submitted by the Boards of Studies through the Boards of Faculties or by University Institutes or independent Centres or Constituent Institutes in respect of courses of study and research degree programmes;

(f) to recommend for the consideration of the Executive Council the principles and criteria on which examiners and Inspectors for various kinds of inspection of the University Colleges, Constituent Institutes and Constituent Colleges may be appointed; and

(g) to frame such regulations and rules consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residence, admissions, award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes, fees, concessions, corporate life and attendance.

13. The Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Pro-Vice-Chancellor;

(iii) three persons to be nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member of the Executive Council; and

(iv) three persons to be nominated by the Visitor.

(2) Five members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.

(3) All the members of the Finance Committee, other than *ex officio* members, shall hold office for a term of three years.

(4) A member of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent if he does not agree with any decision of the Finance Committee.

(5) The Finance Committee shall meet at least thrice every year to examine the accounts and to scrutinise proposals for expenditure.

(6) All proposals relating to creation of posts, and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council.

(7) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

(8) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University (which, in the case of productive works, may include the proceeds of loans).

14. Faculties and Departments.—(1) The University shall have the following Faculties, namely:—

(i) the Faculty of Arts;

(ii) the Faculty of Commerce;

(iii) the Faculty of Law;

(iv) the Faculty of Medicine; and

(v) the Faculty of Science.

(2) The constitution and term of office of members of the Board of each Faculty, its powers and functions and the provisions in respect of the meetings thereof shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the first Board of each Faculty shall be nominated by the Executive Council and shall hold office for a period of one year.

(3) The Faculty of Arts shall consist of the following Departments, namely:—

(i) Ancient History, Culture and Archaeology;

(ii) Anthropology;

(iii) Arabic and Persian;

(iv) Education;

(v) English and Modern European Languages;

(vi) Geography;

- (vii) Hindi and Modern Indian Languages;
 - (viii) Journalism and Mass Communication;
 - (ix) Medieval and Modern History;
 - (x) Music and Performing Arts;
 - (xi) Philosophy;
 - (xii) Physical Education;
 - (xiii) Political Science;
 - (xiv) Psychology;
 - (xv) Sanskrit; Pali, Prakrit and Oriental Languages;
 - (xvi) Urdu; and
 - (xvii) Visual Arts.
- (4) The Faculty of Commerce shall consist of the following Departments, namely:—
- (i) Commerce and Business Administration; and
 - (ii) Economics.
- (5) The Faculty of Law shall consist of the following Department, namely:—
- Law.
- (6) The Faculty of Medicine shall consist of the following Departments, namely:—
- (i) Anaesthesia;
 - (ii) Anatomy;
 - (iii) Cardiology;
 - (iv) Ear, Nose and Throat;
 - (v) Forensic Medicine;
 - (vi) Medicine;
 - (vii) Microbiology;
 - (viii) Obstetrics and Gynaecology;
 - (ix) Ophthalmology;
 - (x) Orthopaedics;
 - (xi) Paediatrics;
 - (xii) Pathology and Bacteriology;
 - (xiii) Pharmacy;
 - (xiv) Pharmacology;
 - (xv) Physiology;
 - (xvi) Radiology;
 - (xvii) Social and Preventive Medicine;
 - (xviii) Surgery; and
 - (xix) Tuberculosis.
- (7) The Faculty of Science shall consist of the following Departments, namely:—
- (i) Botany;

- (ii) Bio-Chemistry;
- (iii) Chemistry;
- (iv) Defence and Strategic Studies;
- (v) Earth and Planetary Sciences;
- (vi) Electronics and Communication;
- (vii) Home Science;
- (viii) Mathematics;
- (ix) Physics;
- (x) Statistics; and
- (xi) Zoology.

(8) Each Department shall be headed by a Head of the Department, whose manner of appointment, term of office and functions shall be prescribed by the Ordinances.

(9) Each Department shall have a Departmental Committee, the constitution, term of office of members and functions whereof shall be prescribed by the Ordinances.

(10) There shall be a Board of Studies for each subject, the constitution, term of office of members and functions whereof shall be prescribed by the Ordinances.

15. Selection Committees.—(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of Professor, Reader, Lecturer, Registrar, Finance Officer, Librarian and Directors of University Institutes and Heads of independent Centres maintained by the University.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, a nominee of the Visitor and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

TABLE	
1	2
Professor/Reader	<ul style="list-style-type: none"> (i) The Dean of the Faculty. (ii) The Head of the Department. (iii) Three experts in the concerned subject/field, to be appointed by the Executive Council, out of the panel recommended by the Academic Council.
Lecturer	<ul style="list-style-type: none"> (i) The Dean of the Faculty/Head of the Department. (ii) Three experts in the concerned subject/field, to be appointed by the Executive Council, out of the panel recommended by the Academic Council.
Registrar/Finance Officer	<ul style="list-style-type: none"> (i) Two members of the Executive Council nominated by it. (ii) One person not in the service of the University or an institution maintained by, or admitted to, the privileges of the University, nominated by the Executive Council.
Librarian	<ul style="list-style-type: none"> (i) Three persons not in the service of the University or an institution maintained by, or admitted to, the privileges of the University, who have special knowledge of the subject of the Library Science/ Library Administration to be nominated by the Executive Council. (ii) One person not in the service of the University or an institution maintained by, or admitted to, the privileges of the University, nominated by the Executive Council.

1	2
Director of University Institute or Head of independent Centre maintained by the University.	Three experts in the concerned subject/field, to be appointed by the Executive Council, out of the panel Centre recommended by the Academic Council.
<i>Note : 1.</i>	Where the appointment is being made for an interdisciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.
<i>Note : 2.</i>	In the case of a University Institute, the Director and in the case of an independent Centre, the Head thereof shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

(3) The Vice-Chancellor, or in his absence the Pro-Vice-Chancellor, shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts approved by the Executive Council.

(4) Four members, including at least two experts, must be present to form the quorum for a meeting of the Selection Committee.

(5) The procedure to be followed by the Selection Committee shall be laid down in the Ordinances.

(6) If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Visitor for final orders.

(7) Appointments to temporary posts shall be made in the manner indicated below—

(i) If the temporary vacancy is for duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses:

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill the vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis on the advice of a local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the Faculty concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor:

Provided that if the same person holds the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor.

(iii) No teacher appointed temporarily on the advice of a local Selection Committee shall be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a regular Selection Committee, for temporary or permanent appointment.

(iv) Where a teacher has been appointed to a Department on the recommendation of a regular Selection Committee on a temporary post, and such post subsequently becomes permanently vacant or another permanent post of the same rank and grade becomes available in the same Department, the Executive Council may appoint such teacher on permanent basis in such Department without further reference to a regular Selection Committee.

16. Special mode of appointment.—(1) Notwithstanding anything contained in Statute 15, the Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or any other equivalent academic post in the University, on such terms and conditions as it deems fit and on the person agreeing to do so appoint him to the post.

(2) The Executive Council may declare a person working in any other University or organisation as teacher of the University for a specified period.

(3) Appointments to Chairs and of Emeritus Professors shall be made by the Executive Council in accordance with the procedure laid down in the Ordinances for such tenure and on such terms and conditions as it deems fit.

(4) The Executive Council may appoint a person selected in accordance with the procedure laid down in Statute 15 for a fixed tenure on such terms and conditions as it deems fit.

17. Academic staff.—(1) The academic staff shall consist of teachers and staff employed for imparting instruction or for conducting, or assisting in the conduct of, research.

(2) The manner of appointment of the academic staff, other than teachers, shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

18. Recognition of teachers.—(1) The qualifications of University recognised teachers shall be such as may be determined by the Ordinances.

(2) All applications for the recognition of teachers shall be made in such manner as may be laid down by the Regulations made by the Executive Council in that behalf.

(3) The Executive Council may, on a reference from the Vice-Chancellor, withdraw recognition from a teacher:

Provided that the teacher or the college or institution concerned may, within a period of thirty days from the date of the order of withdrawal, appeal against the order to the Visitor whose decision shall be final.

19. Committees.—(1) Any authority of the University may appoint as many standing or special Committees as it may deem fit, and may appoint to such Committees persons who are not members of such authority.

(2) Any Committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it.

20. Terms and conditions of service and code of conduct of the teachers, etc.—(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

(3) Every teacher and other member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances.

(4) A copy of every contract referred to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.

21. Terms and conditions of service and code of conduct of other employees.—(1) All the employees of the University, other than the academic staff, shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The manner of appointment and emoluments of employees, other than the academic staff, shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

22. Seniority list.—(1) Whenever, in accordance with the Statutes, any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, prescribe.

(2) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of clause (1).

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person or persons is otherwise in doubt, the Registrar may, on his own motion and shall, at the request of any such person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

(4) The provisions of this Statute shall not affect the *inter se* seniority of the employees working in the University before the appointed day.

23. Removal of employees of the University.—(1) Where there is an allegation of misconduct against a member of the academic staff or other employee of the University, the Vice-Chancellor, in the case of such member of the academic staff, and the authority competent to appoint (hereinafter referred to as the appointing authority) in the case of other employee may, by order in writing, place such member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Executive Council the circumstances in which the order was made:

Provided that the Executive Council may, if it is of the opinion, that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the member of the academic staff, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Executive Council in respect of the academic staff, and the appointing authority in respect of other employees, shall have the power to remove such member of the academic staff or other employee, as the case may be, on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Executive Council, or as the case may be, the appointing authority, shall not be entitled to remove any member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(5) The removal of a member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where the teacher, member of the academic staff or other employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, member of the academic staff or other employee may resign,—

(a) if he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to the Executive Council or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months' salary in lieu thereof;

(b) if he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Executive Council or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Executive Council or the appointing authority, as the case may be.

24. The Librarian.—There shall be a Librarian of the University, who shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Ordinances.

25. Promotion of research, development and consultancy and extension services.—There shall be a Dean of Research and Development to assist the Vice-Chancellor in the planning and co-ordination of research, development and consultancy and extension services in the University, who shall be appointed from amongst the Professors in the manner prescribed by the Ordinances.

26. Honorary degrees.—(1) The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the Visitor for the conferment of honorary degrees:

Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.

(2) The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Visitor, any honorary degree conferred by the University.

27. Withdrawal of degrees, etc.—The Executive Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw a degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Executive Council.

28. Maintenance of discipline amongst students of the University.—(1) All powers relating to the maintenance of discipline and disciplinary action in relation to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) There shall be a Proctor of the University to assist the Vice-Chancellor in the exercise of the powers referred to in clause (1), who shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors and Readers in the manner prescribed by the Ordinances.

(3) The Vice-Chancellor may delegate all or any of the powers referred to in clause (1), as he deems proper, to the Proctor and to such other officers as he may specify in this behalf.

(4) Without prejudice to the generality of the powers referred to in clause (1), the Vice-Chancellor may, in exercise of such powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated, for a specified period, or be not admitted for a stated period to a course or courses of study in the University or an institution maintained by or admitted to the privileges of the University, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be cancelled.

(5) The Deans of Faculties, Heads of Departments and Centres, Directors of University Institutes and Constituent Institutes and Principals of University Colleges and Constituent Colleges shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective Faculties, Departments, independent Centres, University Institutes, Constituent Institutes, University Colleges and Constituent Colleges, as may be necessary for the proper conduct of the work thereof.

(6) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the Deans, Heads, Directors and Principals specified in clause (5), detailed rules of discipline and proper conduct shall be made by the University, and such Deans, Heads, Directors and Principals may also make such supplementary rules as they deem necessary for the purposes stated therein.

(7) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

29. Maintenance of discipline among Students of institutions admitted to the privileges of the University.—All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of an institution admitted to the privileges of the University, shall vest in the Director or Principal, as the case may be, of the institution, in accordance with the procedure prescribed by the Ordinances.

30. University Institutes, independent Centres, University Colleges and Constituent Institutes.—(1) The Institutes of the University immediately before the commencement of the Act, namely:—

(i) The Institute of Inter-Disciplinary Studies;

(ii) The Institute of Professional Studies; and

(iii) The National Centre of Experimental Mineralogy and Petrology,

shall continue as University Institutes and the Centre of Behavioural and Cognitive Sciences shall continue as an independent Centre of the University, and all matters relating thereto shall be provided for by the Ordinances.

(2) The Institute of Correspondence Courses and Continuing Education shall continue as a temporary self-financing University Institute, and all matters relating thereto shall be provided for by the Ordinances.

(3) The manner of establishing University Institutes, Centres and University Colleges maintained by the University and other matters relating to them shall be prescribed by the Ordinances.

(4) The following shall be the University Colleges, namely:—

The Motilal Nehru Medical College and Swarup Rani Nehru Hospital, Allahabad.

(5) The following shall be the Constituent Institutes, namely:—

(i) The Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad;

(ii) The Harish Chandra Research Institute of Mathematics and Mathematical Physics, Allahabad;
and

(iii) The Kamala Nehru Post-graduate Medical Institute, Allahabad.

(6) The admission of institutions to the privileges of the University as Constituent Institutes and University Colleges and other matters relating to Constituent Institutes and University Colleges shall be prescribed by the Ordinances.

31. Constituent Colleges.—(1) The following shall be the Constituent Colleges, namely:—

(i) Allahabad Degree College, Allahabad;

(ii) Arya Kanya Degree College, Allahabad;

(iii) Chaudhary Mahadeo Prasad Degree College, Allahabad;

(iv) Ewing Christian College, Allahabad;

(v) Iswar Saran Degree College, Allahabad;

(vi) Hamidia Girls Degree College, Allahabad;

(vii) Jagat Taran Girls Degree College, Allahabad;

(viii) K. P. Training College, Allahabad;

(ix) Rajarshi Tandon Girls Degree College, Allahabad;

(x) Sanwal Dass Sadan Lal Khanna Girls Degree College, Allahabad; and

(xi) Shyama Prasad Mukherji Government Degree College, Allahabad.

(2) Matters relating to the constitution of the management, the powers of the Vice-Chancellor to issue directions to, and to enforce his orders against, the management, the conditions for the continuance, enlargement and withdrawal of the privileges of Constituent Colleges and the grant to and withdrawal from them of the autonomous status shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that every Constituent College shall be required to undergo the process of assessment by a visiting Peer Team of the National Assessment and Accreditation Council, set up under section 12 (ccc) of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and accreditation by the said Council within a period of three years from the date of the commencement of the Act.

(3) Where under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act 10 of 1973) a Constituent College had been granted permission by the predecessor University to impart instruction for a Post-graduate degree other than the degree of Bachelor of Laws or to exercise the privileges of an Autonomous College, such permission shall cease to have effect upon the expiry of the academic year immediately following the academic year during which the Act has commenced or of the period for which such permission had been granted by the predecessor University, whichever is earlier, without prejudice to the right of the Constituent College concerned to apply afresh for such permission in accordance with the provisions of the Statutes and the Ordinances.

(4) There shall be constituted, by Ordinances, a College Development Council to monitor and promote the academic functioning and development of the Constituent Colleges.

(5) The College Development Council shall be headed by the Dean of College Development, who shall be appointed by the Executive Council from among the Professors of the University in the manner prescribed by the Ordinances.

32. Convocations.—Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the Ordinances.

33. Acting Chairman of meetings.—Where no provision is made for a President or Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the President or Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.

34. Resignation.—Any member, other than an *ex officio* member, of the Court, the Executive Council, the Academic Council or any other authority of the University or any Committee of such authority may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as such letter is received by the Registrar.

35. Disqualifications.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities of the University,—

(i) if he is of unsound mind;

(ii) if he is an undischarged insolvent;

(iii) if he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred to the Visitor and his decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.

36. Residence condition for membership and office.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall not be eligible to be an officer of the University or a member of any authority of the University.

37. Membership of authorities by virtue of membership of other bodies.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment shall hold such office or membership only for so long as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

38. Registered Graduates.—The provisions in respect of the registration of graduates and the maintenance of the register of Registered Graduates shall be prescribed by the Ordinances.

39. Dean and Board of Students Welfare.—(1) There shall be a Dean of Students Welfare to co-ordinate the measures for promoting the welfare of the students of the University, who shall be appointed by the Executive Council from among the Professors and Readers of the University in the manner prescribed by the Ordinances.

(2) There shall be constituted in the University, a Board of Students Welfare, the constitution, term of office of members and functions whereof shall be prescribed by the Ordinances.

40. Ordinances, how made.—(1) The first Ordinances made under sub-section (2) of section 29 may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner specified in the following sub-sections.

(2) No Ordinance in respect of the matters enumerated in sub-section (1) of section 29 shall be made by the Executive Council unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft of any Ordinance proposed by the Academic Council under clause (2), but may reject the proposal or return the draft to the Academic Council for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(4) Where the Executive Council has rejected or returned the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may consider the question afresh and in case the original draft is reaffirmed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting and more than half the total number of members of the Academic Council, the draft may be sent back to the Executive Council which shall either adopt it or refer it to the Visitor whose decision shall be final.

(5) Every Ordinance made by the Executive Council shall come into effect immediately.

(6) Every Ordinance made by the Executive Council shall be submitted to the Visitor within two weeks from the date of its adoption.

(7) The Visitor shall have the power to direct the University to suspend the operation of any Ordinance.

(8) The Visitor shall inform the Executive Council about his objection to the Ordinance referred to in clause (7) and may, after receiving the comments of the University, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

41. Regulations.—(1) The authorities of the University may make Regulations consistent with the Act, the Statutes and the Ordinances for the following matters, namely:—

(i) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(ii) providing for all matters which are required by the Act, the Statutes or the Ordinances to be prescribed by Regulations;

(iii) providing for all other matters solely concerning such authorities or committees appointed by them and not provided for by the Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meeting and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment in such manner as it may specify of any Regulation made under the Statutes or the annulment of any such Regulation.

42. Delegation of Powers.—Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any officer or authority of the University may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.
